हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.2.24	पत्रावली पेश हुई ~~[illegible]~~ वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 17.12.24 को पेश हो।	
17.12.24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 3.2.25 को पेश हो।	
3.2.25	~~पत्रावली पेश हुई~~ SDO सा. अवकाश मे पधारे है। ~~वकील वादी उप.~~ ~~अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक~~ ~~12~~-6-25 को पेश हो।	
12-6-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 11...9...25 को पेश की जावे	
11-9-25	~~पत्रावली पेश हुई~~ SDO सा. जन सुनवाई मे पधारे है। ~~वकील वादी उप.~~ ~~अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक~~ 24.11.25 को पेश हो।	
24.11.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्दबटवारा रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हुई प्राप्त फर्दबटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे दावा फर्दबटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण मे प्राप्त फर्दबटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्याः— 12 / 2023

देवीलाल मुतवन्ना खाना उर्फ कन्हैयालाल जी भील निवासी झाडोल सांकल की झोपडिया ग्राम पं. सुवानिया तहसील बेगूँ .....वादी

वनाम

1. चुन्नीलाल पिता उदा जी भील निवासी सांकल की झोपडिया झाडोल ग्राम पं. सुवानिया तह0 बेगूँ
2. लादू पिता प्यारा जी भील निवासी सांकल की झोपडिया झाडोल ग्रा.पं. सुवानिया तह0 बेगूँ
3. कालीबाई पिता प्यारा जी पति नारायण जी भील निवासी मेरा का खेडा तह0 माण्डलगढ
4. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साह0 बेगूँ तहसील कार्यालय बेगूँ
5. श्रीमान जिला कलेक्टर साहब चितौडगढ जिला कार्यालय चितौडगढ राज0 जरिये प्रतिनिधि राजस्थान राज्य जयपुर .....प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री गोपाल लाल गुरूजी
अधिवक्ता वादी
श्री मुरलीधर शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 व 2

निर्णय दिनांक ::—24.11.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी के गोद नसीन पिता कन्हैयालाल जी उर्फ खाना जी भील की एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम तुम्बा प0ह0 सुवानिया तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से हैः—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा क्षैत्रफल
20	152 / 2	0.2800
	153 / 2	0.6100
	3	0.8500
कीता—3	कुल रकबा	0.9500 हैक्टर

(ब) खाता संख्या 21 आराजी नं0 157 / 2 रकबा 0.8800 हैक्टर ।

यह कि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1,2,3 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैः—

उदा जी (फोत)

प्यारचन्द्र (फोत)	हीरालाल (फोत) (लाऔलाद)	चुन्नीलाल पुत्र	कन्हैयालाल उर्फ खाना पुत्र (फोत)	बरजीबाई (फोत) पत्नी
लादू लडका	कालीबाई लडकी	रतनलाल पुत्र	देवीलाल पुत्र (गोद गया)	

उपरोक्त सजरे में उदा जी थे, उदा जी के चार पुत्र क्रमशः प्यारचंद, हीरालाल चुन्नीलाल , कन्हैयालाल उर्फ खाना एवं पत्नी बरजीबाई हुए सिमें से प्यारचंद्र की मृत्यु हो चकी है, प्यारचदं के एक पुत्र लादू एवं एक पुत्री कालीबाई है। तथा हीरालाल जी लाऔलाद फोत हो चुका है। एवं चुन्नीलाल जीवित होकरउसके दो पुत्र है जो रतनलाल देवीलाल है। देवीलाल को चुन्नीलाल ने खाना उर्फ कन्हैयालाल भील के करीव 25 साल पहले गोद रख दिया। एवं उदा जी के चौथा पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल जिसकी भी मृत्यु हो चुकी हैं, एव उदा जी पत्नि बरजीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे हीरालाल एवं बरजीबाई का हक हिस्सा के मालिक प्यारचंद चुन्नीलाल व कन्हैयालाल हुए।

यह कि वादी के पिता चुन्नीलाल एवं माता लादीबाई ने मुझ वादी को करीब 25 वर्ष पहले मेरी नावालिग अवस्था में कन्हैयालाल उर्फ खाना जी भील व उनकी पत्नी लादीबाई के गोदरखा व गोद की रस्म हुई हुई व लेन देन हुआ। तबसे मैं कन्हैयालाल उर्फ खाना एवं गोदनशीन माता लादीबाई की सेवा सुश्रुषा करता रहा व दोनो के पिण्डदान , काज करियावर दोनों की मृत्युपरान्त पूर्ण किए। एवं उनकी देनदारियां , लेनदारियां मे ही कर रहा हूँ तथा कन्हैयालाल उर्फ खाना जी की मृत्यु दिनांक 15.10.2022 को हुई। कन्हैयालाल उर्फ खाना जी भील को चल अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालिक व काबिज हूँ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वादी एवं प्रतवादीगण सं. 1,2,3 को वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात है। उक्त आराजीयात पर स्वयं वादी एवं प्रतवादीगण सं. 1,2,3 ने आपसी सहमति के आधार पर काबिज होकर मौके पर अलग अलग चुवाई कर रहे है।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 में वर्णित खाता संख्या अ में दर्ज रेवेन्यु रेकार्ड के आधार पर खातेदार प्यारचंद हीरालाल चुन्नीलाल कन्हैयालाल उर्फ खाना एवं बरजीबाई का 1/5 –1/5 – 1/5 – 1/5 –1/5 दर्ज है चूंकि बरजीबाई की मृत्यु हुए करीब 11 वर्ष हो गए है एवं बरजीबाई के वैध वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत उसके पुत्र प्यारचंद , हीरालाल चुन्नीलाल कन्हैयालाल हुए जिससे चारो पुत्रो के हिस्सा से खाते में 1/4–1/4–1/4–1/4 होगां। प्यारचंद्र पिता उदा जी की मृत्यु हो गई है इसलिए प्यारचंद के वैध वारिसान में पुत्र लादू व पुत्री कालीबाई है जो प्रतिवादी सं. 2 व 3 है। प्यारचंद्र जी का 1/4 हिस्स होने से प्रतिवादी सं. 2, 3 का 1/6–1/6 हिस्स दर्ज करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिवादी स. 2,3 का वादपत्र की कलम सं. 1 में रेवेन्यु रेकार्ड में 1/6–1/6 हिस्स होगां। इसी तरह वादपत्र की कलम सं. 1 में "ब" खाता में प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/4–1/4 हिस्स दर्ज फरमाया जावें। क्यो कि ब खाते में प्यारचंद्र का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

यह कि हीरालाल पिता उदा जी भील भी लाऔलाद फोत हुए एवं चुन्नीलाल ने मुझ वादी को कन्हैयालाल उर्फ खाना जी के गोद रख दिया इसलिए कन्हैयालाल उर्फ खाना जी की जगह मुझ वादी का खाता सं."अ" में 1/3 हक हिस्स होगा एवं इसी प्रकार खाता संख्या "ब" में भी मुझ वादी का कन्हैयालाल उर्फ खाना जी के बजाय 1/4 हक हिस्सा दर्ज फरमाया जाने की घोषणा फरमाई जावें।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 वर्णित खाता "अ" में चुन्नीलाल प्रतिवादीसं0 1 का खाते में 1/3 हक हिस्सा व खाता सं. "ब" में 1/4 हक हिस्स दर्ज किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में घोषणा फरमाई जावें व इसी हिसाब से रेवेन्यु रेकार्ड में हिस्सेनुसार घोषणा फरमाई जाकरवादी एवं प्रतिवादीगण के हक में हिस्से अनुसार डिक्री फरमाई जावें।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1,2,3 का भूमिपर आपसी रजामंदी से मौके पर तो अपना अपना कब्जा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में वादपत्र में अंकित समस्त आराजीयात का सही हिस्सा दर्ज नहीं होने व विधिवत अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का बंटवाडा नहीं होने से भूमि पर ऋण लेने में दिक्कत आती है एवं भूमि का लगान अदा करने में भी हमेशा विवाद होता रहता है, इस कारण वादी ने सभी प्रतिवादीगण को दिनांक 15.12.2022 को तहसील में चलकर रेकार्ड में दुरस्ती व विभाजन हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने सहमति नही दी व भूमि का विभाजन कराने में आना कानी की व हिस्सा व बंटवाडा नहीं कराया इस कारण वादी को अपने हिस्से का विभाजन व हक हिस्से की घोषणा कराये जाने हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादकारण दिनांक 15.12.2022 को वादी ने प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड में हिस्से की घोषणा व विभाजन करा व वादी का हिस्सा पृथक रूप से दर्ज कराये जाने बाबत कहा परंतु प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी सं. 4 व 5 रेवेन्यु वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिक्री फरमाई जावें :–

(क) कि मौजा तुम्बा प0ह0 सुवानिया तह0 बेगॅ की संयुक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 के "अ" में खाता संख्या 20 में अंकित आराजी संख्या 152/2 रकबा 0.2800 हैक्टर एवं 153/2 रकबा 0.6100 हैक्टर तथा आराजी संख्या 3 रकबा 0.8100 हैक्टर में वादी देवीलाल भील का खाता "अ" में 1/3 हिस्सा एवं वादपत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णित "ब" वर्णित खाता संख्या 21 के आराजी संख्या 157/2 रकबा 0.8100 हैक्टर में 1/4 हिस्सा भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं कब्जे के आधार से रेवेन्यु रेकार्ड में हि0 1/4–1/4 दर्ज करने की घोषणा एवं विभाजन किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी सं. 1 चुन्नीलाल भील के खाता संख्या "अ" में 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या "ब" में 1/4 हिस्सा की घोषणा एवं इसी हिस्सनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा फरमाया जावें।

(ग) कि प्रतिवादी सं. 2 ,3 लादू भील एवं कालीबाई भील के खाता सं. "अ" मे 1/6,1/6 हक हिस्सा एवं खाता "ब" में 1/4,1/4 हक हिस्सा की घोषणा व विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

(घ) कि वादपत्र की कलम सेंख्या 1 में वर्णित संयक्त खातेदारी एवं कब्ज काश्त में आये हिस्से अनुसार घोषणा फरमाई जाकर व विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक रूप से खाता दज्र कराये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

(ड.) कि अन्य कोई दाद बहक वादी हो धारा 209 के अन्तर्गत वो भी वादी को प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दज्र रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र की कलम संख्या 1 से लगायत 9 तक को स्वीकार करते हुए कलम संख्या 10, 11, 12, 13 व 14 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने अंकित किया है। साथ अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि वादी देवीलाल मुतवन्ना खाना उर्फ कन्हैयालाल भील को मुझ चुन्नीलाल ने खाना उर्फ कन्हैयालाल भील के

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

करीब 25 साल पहले गोद रखा व गोद रखने में कन्हैयालाल भील व उसकी पत्नी लादीबाई ने देवीलाल को गोद रखने की रस्म की तभी से देवीलाल कन्हैयालाल भील के यहां बडा हुआ तथा कन्हैयालाल भील ने ही उसकी परवरिश की तथा कन्हैयालाल भील की पत्नी की मृत्यु होने से उसका काज करियावर एवं पिण्डदान आदि देवीलाल ने ही किया तथा उसकी पत्नी सेवा सुश्रुषा आदि देवीलाल ने की।

यह कि कन्हैयालाल भील उर्फ खाना की मृत्यु दिनांक 15.10.2022 को हो गई तथा वर्तमान मे खाना जी की मृत्यु से पूर्व एवं उसके पश्चात निरंतर करीब 25 वर्ष से खाना जी की जमीन मकान व उसकी चल अचल संपति का मालिक देवीलाल ही है एवं उसी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में होकर देवीलाल काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसलिए खाना जी के बजाय देवीलाल जो गोदपुत्र है उसके खाते कर दी जावें।

यह कि ग्राम तुम्बा की आराजी सं. 152/2 व 153/2 आराजी नम्बर 3 व आराजी नम्बर 157/2 में देवीलाल का नाम खाना उर्फ कन्हैयालाल की जमीन में राजस्व अभिलेख मे दर्ज किया जाने में हमे कोई आपत्ति नहीं है।

अतःश्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओरसे प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर मृतक खाना उर्फ कन्हैयालाल के बजाय राजस्व अभिलेख में विरासत से देवीलाल गोदपुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल भील का नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत है।

इस प्रकार पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गयें। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी व 5 प्रतिनिधी राज्य सरकार ने फोर्मला पक्षकार होने से कोई जवावदावा प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ईकबालिया जवाब होने व अन्य किसी प्रतिवादीगण के जवाब नहीं होने से पत्रावली में तनकी पत्र कायम नहीं किया जाकर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत दिये जाने का अवसर दिया गया। दावा पत्रावली में वादी द्वारा वादी देवीलाल मुतबन्ना खाना कन्हैयालाल के साक्ष्य शपथ पत्र व गवाह हेमराज पिता भवाना जी के प्रस्तुत करते हुए मुख्य परीक्षण में उनके बयान कलमवद्ध कराये गये साथ ही वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया है। इस दावा पत्रावली में गवाह मोजीराम पिता भोजा जी गुर्जर के बयान कलमबद्ध कराये गये है लेकिन उनका साक्ष्य शपथ पत्र इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार वादी एवं गवाह वादी द्वारा अपने बयानों में वादपत्र के अनुसार ही बयान कलमबद्ध कराते हुए साक्ष्य वादी की पूर्ण कराई गई है।

पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र पर एक तरफा बहस निवेदन करते हुए वादपत्र अनुसार करते हुए कहा कि वादवर्णित भूमि ग्राम तुम्बा में स्थित है। वादी देवीलाल जो कि खाना उर्फ कन्हैयालाल के गोद गया है, वादी द्वारा वोटरआईडी एवं राशनकार्ड आदि सबूत भी दावे मे प्रस्तुत किये है। वादपत्र में बयान हेमराज व मोजीराम ने भी अपने अपने बयानों में वादी के गोद जाने का कथन किया है। वादी का 1/3 हिस्स है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

दावा पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया । प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा तुम्बा पटवार हल्का सुवानिया के खाता संख्या 20 में अकित आराजी संख्या 152/2, 153/2, 3 कीता–3 कुल रकबा 1.7400 हैक्टर भूमि में कन्हैयालाल पुत्र उदा हिस्स 1/5 जाति भील , चुन्नीलाल पुत्र उदा हिस्सा 1/5 भील , प्यारचंद्र पुत्र उदा हिस्सा 1/5 जाति भील , बरजी पत्नि उदा हिस्सा 1/5, हीरालाल पुत्र उदा हिस्सा 1/5 दर्ज अंकित किया हुआ है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा तुम्बा के खाता संख्या 21 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 157/2 कीता–1 कुल रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि कन्हैयालाल पुत्र उदा हिस्सा 1/4, चुन्नीलाल पुत्र उदा हिस्स 1/4 जाति भील, प्यारा पुत्र उदा हिस्सा 1/2 जाति भील सहखातेदार अंकित किये हुए हैं। पत्रावली मे प्रस्तुत प्रदर्श–3, प्रदर्श–4 , प्रदर्श–5, प्रदर्श–6 नकल नक्शाट्रेस वर्णित आराजी का हैं। पत्रावली में मृत्यु प्रमाण पत्र खाना का प्रदर्श–7 प्रस्तुत किया है।

प्रदर्श–8 राशन कार्ड की प्रति है जो कि खाना पुत्र उदा के नाम से जारी परिवार का कार्ड है उसमें दर्ज सदस्यो में देवीलाल को खाना का बेटा अंकित किया हुआ हैं ।प्रदर्श–9 आम आदमी का अधिकार कार्ड है जो कि खाना पुत्र उदा का है। प्रदर्श–10 आधार कार्ड वादी देवीलाल का है।

इन सभी दस्तावेज का हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। वादी ने एकमात्र प्रमाण परिवार राशन कार्ड खाना में उनके नाम दर्ज होकर उन्हें खाना का बेटा होना अंकित किये जाने का प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने ईकबालिया जवाबदावे में वादी के गोद जाने का कथन अंकित किया है। एवं प्रस्तुत सभी गवाह ने भी वादपत्र के अनुसार ही वादी को खाना उर्फ कन्हैयालाल का गोदपुत्र होने का कथन अपने बयानों में अंकित किया है। नकल जमाबंदी में सभी पक्षकारान के हिस्से 1/5–1/5 अंकित किये हुए है व एक आराजी में 1/4–1/4 अंकित है जिससे वादपत्र में दर्शाया गया सजरा सही होना स्पष्ट होता है। वादी द्वारा दर्शाये गये सजरे में उदा जी के पुत्र हीरालाल को लाऔलाद फोत होना बताया है व उनकी पत्नी बरजीबाई को भी फोत होना बताया है किन्तु उनकी मृत्यु होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि वाद वर्णित भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की है, एवं वादपत्र में प्रस्तुत प्रतिवादी सं. 1 व 2 का जवाब एवं बयान गवाहो से वादी का कन्हैयॉलाल के गोद जाना माना जाता है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य जाने से वादी का वाद दिनांक 17.12.2024 को निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया :–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा तुम्बा पटवार हल्का सुवानिया में अंकित खाता संख्या 20 में अंकित आराजी संख्या 152/2, 153/2, व 3 रकबा 0.8500 हैक्टर कुल कीता–3 कुल रकबा 0.9550 हैक्टर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण 1 से 3 तक का जमाबंदी अनुसार तथा मौजा तुम्बा प0ह0 सुवानिया के खाता संख्या 21 में अंकित आराजी संख्या 157/2 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक का जमाबंदी अनुसार घोषित किया जाता है। तथा उपरोक्त हिस्सानुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु 1000/– कमिश्नर शुल्क फीस पर तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है तथा उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।'

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाते हुए निर्देशित किया गया कि वे प्राथमिक डिक्री में वर्णित कृषि आराजीयात का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ ने अपने पत्र कमांक /राजस्व/2025/911 दिनांक 16.10.2025 के साथ विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ तथा पर्चामौका रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय में प्रेषित किये। प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुनी गई।

प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता वादीया द्वारा की जाकर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होने से वादीया का वादपत्र स्वीकार करते हुए अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के खाते में आई कृषि भूमि को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। इस प्रकार प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा तुम्बा पटवार हल्का सुवानिया की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार किया जाता है:–

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
	(खाता संख्या 20 मे से)				
1–	देवीलाल दत्तक पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल भील सा.झाडोल	153/2 मे से	0.58	बंजड	1.00
		कीता–1	0.58		1.00
2–	चुन्नीलाल पुत्र उदा हि. 1/2 भील सा.साकल की झुपडिया लाडूबाई पत्नि दुदालाल भील सा. मेघनिवास	152/2	0.28	बंजड	0.52
		153/2 मे से	0.03	बंजड	0.13
		3	0.85	बा5	2.11
		कीता–3	1.16 हैक्टर		2.76
	(खाता संख्या 21 मे से)				
1–	देवीलाल दत्तक पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल भील सा.झाडोल	157/2 मे से	0.2025	बंजड	0.37
		कीता–1	0.2025		0.37
2–	चुन्नीलाल पुत्र उदा हि. 1/2 भील सा.साकल की झुपडिया लाडूवाई पत्नि दूदालाल भील सा. मेघनिवास	157/2 मे से	0.6075	बंजड	1.14
		कीता–1	0.6075		1.14

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाने के आदेश दिये जात है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या – 12 / 2023

देवीलाल मुतवन्ना खाना उर्फ कन्हैयालाल जी भील निवासी झाडोल सांकल की झोपडिया ग्राम प सुवानिया तहसील वेगूँ — वादी

वनाम

1. चुन्नीलाल पिता उदा जी भील निवासी सांकल की झोपडिया झाडोल ग्राम पं. सुवानिया तह0 वेगूँ
2. लादू पिता प्यारा जी भील निवासी सांकल की झोपडिया झाडोल ग्रा.पं. सुवानिया तह0 वेगूँ
3. कालीबाई पिता प्यारा जी पति नारायण जी भील निवासी मेरा का खेडा तह0 माण्डलगढ
4. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साह0 वेगूँ तहसील कार्यालय वेगूँ
5. श्रीमान जिला कलेक्टर साहब चितौडगढ जिला कार्यालय चितौडगढ राज0 जरिये प्रतिनिधि राजस्थान राज्य जयपुर

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने स वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा तुम्वा पटवार हल्का सुवानिया की कृषि आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार किया जाता है:–

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं0	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
	(खाता संख्या 20 मे से)				
1–	देवीलाल दत्तक पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल भील सा.झाडोल	153 / 2 मे से	0.58	वंजड	1.00
		कीता–1	0.58		1.00
2–	चुन्नीलाल पुत्र उदा हि. 1 / 2 भील सा.साकल की झुपडिया लाडूवाई पत्नि दूदालाल भील सा. मेघनिवास	152 / 2	0.28	वंजड	0.52
		153 / 2 मे से	0.03	वंजड	0.13
		3	0.85	वा5	2.11
		कीता–3	1.16 हैक्टर		2.76
	(खाता संख्या 21 मे से)				
1–	देवीलाल दत्तक पुत्र खाना उर्फ कन्हैयालाल भील सा.झाडोल	157 / 2 मे से	0.2025	वंजड	0.37
		कीता–1	0.2025		0.37
2–	चुन्नीलाल पुत्र उदा हि. 1 / 2 भील सा.साकल की झुपडिया लाडूवाई पत्नि दुदालाल भील सा. मेघनिवास	157 / 2 मे से	0.6075	वंजड	1.14
		कीता–1	0.6075		1.14

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जाने के आदेश दिये जात है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार वेगूँ को दी जाती है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूँ
दिनांक :– 26/11/25

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 943

वाद संख्या 12 / 2023 व अनवान देवीलाल वनाम चुन्नीलाल वगै. वाद अ.धा. 88–53 राज0काश्त अधि0 में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार वेगूँ को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूँ